

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अथवा
अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

14- टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत
राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट
समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

Recommended for
approval

हस्ताक्षर

डा० प्रशान्त कुमार वर्मा
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उ०प्र०, लखनऊ

नाम-

सरकारी मोहर-

दिनांक- 29/12

स्थान-

Lumen

भाग-5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो
अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो भरा जाना है)

15- राज्य सरकार की सिफारिश।
(उपर्यक्त भाग-ख या भाग -ग या भाग -घ
में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की
गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

हस्ताक्षर

नाम-

सरकारी मोहर-

दिनांक-

स्थान-